मध्य प्रदेश शासन
नगरीय विकास एवं पर्यावरण विभाग,
मंत्रालय,

क्रमांक एफ 3–7/2016/18–5 भोपाल दिनांक 25/ 1 /2016

प्रति,

1. कलेक्टर,
जिला भोपाल

2. संयुक्त संचालक,
नगर तथा ग्राम निवेश कार्यालय,
भोपाल ।

3. मुख्य कार्यपालन अधिकारी,
जिला पंचायत भोपाल

4. आयुक्त
नगरपालिका निगम भोपाल

विषय :–भोपाल विकास योजना 2005 में उपांतरण बाबत्।

1479/TC
02/02/16.

राज्य शासन ने भोपाल विकास 2005 में उपांतरण का निर्णय लिया है जिसकी सूचना जनसामान्य की जानकारी के लिये सूचना दैनिक समाचार पत्रों में प्रकाशन कराया जा रहा है।

नियमानुसार संलग्न सूचना को 15 दिन की समयावधि के लिये आपके कार्यालय के सूचना पटल पर चस्पा कराकर विभाग को सूचित कराने का कष्ट करें।

संलग्न :– यथोपरि

(सुप्रिया पेंडके)
अवर सचिव
मध्य प्रदेश शासन
नगरीय विकास एवं पर्यावरण विभाग

पृ0क्र0–एफ 3–7/2016/18–5 भोपाल दिनांक 25/ 1 /2016

प्रतिलिपि :–

1. संचालक, नगर तथा ग्राम निवेश संचालनालय, भोपाल को संचालनालय की वेबसाईट पर प्रकाशन हेतु सूचना की प्रति के साथ अग्रेषित।
2. श्री अजय कुमार कमान्डेंट सशस्त्र सीमा बल (एस एस बी) उप महानिरिक्षक कार्यालय प्रशिक्षु प्रशिक्षण केन्द्र भोपाल पिन कोड–462036 की ओर सूचनार्थ अग्रेषित ।

अवर सचिव
मध्य प्रदेश शासन
नगरीय विकास एवं पर्यावरण विभाग

25/1/2016

T.C. तकनीकी
20/30/1

02.2.16

Dman(S)

website पर
तत्काल प्रकाशन करावें

Government of Madhya Pradesh
Urban Development And Environment Department
MINISTRY

Notice for modification in development Plan

Bhopal, Dated .25/1.../2015

No. F-3-7 /2016/18-5 :: In exercise of the Powers Conferred by Clause (a) of Sub section (1) of section 23-A of The Madhya Pradesh Nagar Tatha Gram Nivesh (Sanshodhan) Adhiniyam, 1973 (No.1 of 2012), The State Government hereby notify the proposal of following modifications for public information, in the Bhopal Development Plan, 2005 as specified in the schedule hereunder, namely :-

SCHEDULE

No.	Village	Khasara No.	Area (In Hectare)	Land use specified in the development plan	Modified land use after modifications
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**
1.	Gram Chandukhedi	1	6.94 Hect.	Agriculture	Public & Semi Public (Tchnical training centre) Conditions :- 1. Existing Nallah as per revenue record shall be kept open under the provisions of Bhopal Master Plan 2005 and Bhomi Vikas Niyam 2012.
		2	0.21 Hect.		
		3	10.68 Hect.		
		4	0.60 Hect.		
		5	0.24 Hect.		
		6	0.05 Hect.		
		18	1.62 Hect.		
		19	0.32 Hect.		
		52/1	1.58 Hect.		
		54/1	6.80 Hect.		
		55	0.32 Hect.		
		56/1	26.21 Hect.		
		57	2.91 Hect.		
		Total	58.48 Hect.		

Details of The Proposed modifications shall be available for inspection to the public in the office of Joint Director, Town and Country Planning, Bhopal as well as on the web site. www.mptownplan.nic.in for a period of 15 days from the date of publication of this notice.

Any objection/suggestions may be furnished in writing within 15 days from the date of publication of this notice in the daily news papers to the Under Secretary, Government of Madhya Pradesh, Urban Development and Environment Department, Mantralaya, Bhopal. Objections and Suggestions received before the expiry of the period specified above may be considered by the State Government.

By order and in the name of the
Governor of Madhya Pradesh,

(S.K.Mudgal)
Deputy Secretary
Government of Madhya Pradesh
Urban Development And Environment
Department

मध्य प्रदेश शासन
नगरीय विकास एवं पर्यावरण विभाग
मंत्रालय

विकास योजना में उपांतरण हेतु सूचना

भोपाल, दिनांक 25/1 /2015

कमांक–एफ–3–7 / 2016 / 18–5 :: मध्यप्रदेश नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम, (संशोधित) 1973 (कमांक–1 सन् 2012), की धारा 23–क की उपधारा (1) के खण्ड (क) के अधीन एतद् द्वारा सार्वजनिक जानकारी हेतु यह अधिसूचित किया जाता है कि राज्य सरकार नीचे दी गई अनुसूची में यथानिर्दिष्ट भोपाल विकास योजना 2005 में उपांतरण प्रस्तावित करती है।

अनुसूची

क्र0	ग्राम	खसरा क्र.	क्षेत्रफल हेक्टेयर में	विकास योजना में निर्दिष्ट भू–उपयोग	उपांतरण पश्चात् उपांतरित भू–उपयोग
1.	2.	3.	4.	5.	6.
1.	ग्राम चंदुखेडी	1	6.94 हेक्टेयर	कृषि	सार्वजनिक एवं अर्ध सार्वजनिक (तकनीकी पशिक्षण केन्द्र) शर्तेः– राजस्व अभिलेख तथा स्थल पर विद्यमान नाले के अंतर्गत आने वाली भूमि भोपाल विकास योजना 2005 तथा मध्यपदेश भूमि विकास नियम 2012 के प्रावधानों अंतर्गत खुली छोड़नी होगी ।
		2	0.21 हेक्टेयर		
		3	10.68 हेक्टेयर		
		4	0.60 हेक्टेयर		
		5	0.24 हेक्टेयर		
		6	0.05 हेक्टेयर		
		18	1.62 हेक्टेयर		
		19	0.32 हेक्टेयर		

23-A-English

		52/1	1.58 हेक्टेयर		
		54/1	6.80 हेक्टेयर		
		55	0.32 हेक्टेयर		
		56/1	26.21 हेक्टेयर		
		57	2.91 हेक्टेयर		
		योग–	58.48 हेक्टेयर		

प्रस्तावित उपांतरण के ब्यौरे सूचना प्रकाशन की तिथि से 15 दिन की समयावधि के लिये आम जनता को निरीक्षण के लिये संयुक्त संचालक, नगर तथा ग्राम निवेश, जिला कार्यालय भोपाल तथा www.mptownplan.nic.in वेबसाईट पर निरीक्षण हेतु उपलब्ध होंगे। प्रस्तावित उपांतरण के संबंध में यदि किसी व्यक्ति को कोई आपत्ति/सुझाव हों तो वह अवर सचिव, मध्यप्रदेश शासन, नगरीय विकास एवं पर्यावरण विभाग को दैनिक समाचार पत्रों में इस सूचना प्रकाशन होने की दिनांक से 15 दिन के भीतर लिखित में प्रस्तुत कर सकेगा एवं ऐसी आपत्तियां या सुझाव जो ऊपर विनिर्दिष्ट अवधि के अवसान होने से पूर्व प्राप्त हों, पर राज्य सरकार द्वारा विचार किया जायेगा।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार,

(एस के मुद्गल)
उप सचिव
मध्यप्रदेश शासन
नगरीय विकास एवं पर्यावरण विभाग